उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाष : पी0बी0एक्स0 26225439, 2622363, 2628461

फैक्स : – 0522–2615526, 2628841, 2274578

पत्र सं0–805 लो0सू0अधि0 / 14–5 / जी / जनसूचना / 05 — दिनांकः 17 जुलाई,2014

1. अपर प्रबन्ध निदेशक,
2. वित्त नियंत्रक,
3. विधि परामर्शदाता,
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0 / संचा0 / प्रावि0)
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक
6. अधिशासी अभियन्ता(पूर्व / पश्चिम)
7. प्रबन्धक(कार सेक्शन / एम0आई0एस0)
   परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8. प्रधान प्रबन्धक(डा0रा0म0लो0का0 / के0का0)
   उ0प्र0परिवहन निगम, कानपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
10. समस्त सेवा प्रबन्धक,
11. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
    उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदकों को मांगी गई सुसंगत सूचना यथासमय प्रदान किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक आपको विदित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई सुसंगत सूचना, यथासमय प्रदान किये जाने का दायित्व सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी का है और इस हेतु, इस कार्यालय से पूर्व निर्गत आदेश सं0–5299प्र0प्र0(ज0सू0) / 2012 दिनांक 29.05.2012 के माध्यम से निगम के विभिन्न अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त, जनसूचना विषयक कार्यों के सम्यक अनुश्रवण एवं सुचारू निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि प्रायः सम्बन्धित अधिकारी जनसूचना विषयक प्राप्त आवेदनों को गम्भीरतापूर्वक न लेकर, आवेदक को निर्धारित समय सीमा में वांछित सूचना नहीं प्रदान करते है अथवा सुसंगत सूचनाएँ नहीं प्रदान करते हैं। उक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गये पत्राचार को भी समुचित ढंग से संज्ञान में लेकर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जाती है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–05 की उपधारा(04) में यह प्राविधान है कि लोकसूचना अधिकारी किसी भी दूसरे अन्य अधिकारी से आवेदक को वांछित सूचनाएं प्रदान कराये जाने हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, यदि वह यह समझता है कि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए यह आवश्यक होगा। कोई अधिकारी, जिसकी सहायता उपरोक्त उपधारा (04)के अधीन चाही गई है, वह लोकसूचना अधिकारी को देने के लिए प्रतिबद्ध होगा तथा वह अधिकारी, उक्त प्रकरण में **स्वयं लोकसूचना अधिकारी** समझा जायेगा।

उपरोक्त सम्बन्ध में, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 की उपधारा(1) में यह भी प्राविधित है कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना हेतु निवेदन को लेने से इन्कार करने पर या धारा–07 की उपधारा (01) के अधीन विर्निदिष्ट समय के भीतर सूचना नही दिये जाने पर या विद्वेषपूर्ण ढंग से सूचना के निवेदन को इन्कार करने पर या साशय असत्य, अपूर्ण या वहकावापूर्ण सूचना दिये जाने पर या निवेदित सूचना की विषय वस्तु को नष्ट किये जाने पर अथवा सूचना देने में किसी भी ढंग से बाधा डालने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी जुर्माना / अनुशासनात्मक कार्यवाही के स्वयं भागी होंगे।

उपरोक्त के आलोक में, आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि जनसूचना विषयक प्रकरणों को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए उनका तत्परतापूर्वक एवं पूर्णरूचि सहित निष्पादन करें ताकि आवेदकों को अनावश्यक जनसूचना आयोग की शरण में जाने की स्थिति न उत्पन्न हों।

17/07/14

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com